न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश नं० .... में अनुमोदित]

Notice upload संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

22/02/2018

(...)

.... वि.वि. .... विभाग

SAR 39/14.15 .... रजिस्टर नं० ....

कैरनेल केरकेट्टा बनाम बजरंग साय

CNTAct (SAR)

क्रम सं०	कागज					
१	२	३	४	५	६	७
		23/12/22		✓ 31.7.19		17.6.17
		10.01.23				21.8.17
		3.2.2023		18.9.19		20.9.17
				8.1.2020		25.10.17
				12.2.2020		06-12-17
				8.4.2020		5.1.18
				7/04/2021		21.2.18
				28.4.21		28.3.18
				28/7/2021		9.5.18
				27/10/21		20.6.18
				29/12/2021		01.8.18
				01.2.2022		3-10-018
				3/3/22		19.12.18
				05/4/22		30-1-019
				05/7/22		6.3.19
				29/7/22		12.6.19
				02/9/22		
				21/10/22		
				2/12/22		

आदेश-पत्रक

(देखे नियम 129 अभिलेख हस्तक) कोरनेल केरकेट्टा

आदेश पत्रक–ता0..से ....तक

जिला–सिमडेगा, संख्या SAR 33/2014-15

केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

बनाम

एजरंग साव

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
19-9-2014	श्री कोरनेल केरकेट्टा पिता स्व0 इलियास केरकेट्टा साकिन ठेठईटांगर बसर टोली थाना ठेठईटांगर जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी एजरंग साव पिता मोहन साव साकिन– ठेठईटांगर थाना ठेठईटांगर जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	11-7-15 22-5-17 14-6-17

ग्राम	खाता सं0–	प्लॉट सं0	रकबा
ठेठईटांगर	222	3121	0.04 डिसमिल

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 4-10-2014 को उपस्थापित करें।

19/9

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 39/2014–15
दिनांक 10.1.23

कोरनेल केरकेट्टा
बनाम
बजरंग साव

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक कोरनेल केरकेट्टा, पिता–स्व0 इलियास केरकेट्टा, साकिन–ठेठईटांगर बसारटोली, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी बजरंग साव, पिता–मोहन साव, साकिन–ठेठईटांगर, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–39/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
ठेठईटांगर	222	3121	0.04 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, टी0टांगर को इस न्यायालय के पत्रांक–430/विधि, दिनांक 19.09.2014 एवं पत्रांक–218/विधि, दिनांक 23.05.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, टी0टांगर के पत्रांक–226(ii), दिनांक 31.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि एस0ए0आर0 वाद सं0–39/2014–15 कोरनेल केरकेट्टा, पिता–स्व0 इलियस केरकेट्टा, पिता–स्व0 इलियास केरकेट्टा, बनाम बजरंग साव, पिता–स्व0 मोहन साव, साकिन–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा का जाँच प्रतिवेदन निम्नप्रकार हैः–

13. घर मकान बनाकर कब्जा किया गया है।
14. मौजा–ठेठईटांगर के खाता नं0–222, प्लॉट नं0–3121 अंश रकबा–0.05 एकड़ वर्ष 1980–81 ई0 से विपक्षी का दखल कब्जा है।
15. पक्का मकान, एसवेस्टर्स अनुमानित लागत 250000/–(दो लाख पचास हजार रूपया हो सकता है।)
    (क) मकान 1980–81 ई0 में बना है तथा 0.05 एकड़ भूमि पर बना है।
    (ख) मकान का लागत 250000/–(दो लाख पचास हजार) हो सकता है।
    (ग) कुआं नहीं बना है/चापाकल बना है।
16. खतियानी रैयत बुधु खड़िया वो ढुढु खड़िया पेशरान मुडरू खड़िया खतियानी रैयत का आवेदक पोता है।
17. पंजी–II रैयत जोसेफ खड़िया वो इलियास खड़िया पेशरान बुधु खड़िया वो ढुढु खड़िया वल्द गुडरन खड़िया पंजी–II के पेज नं0–29 VOl- II में दर्ज है।
18. विवादित भूमि का चौहद्दीः–
    उ0 में दोन प्रथम पक्ष
    द0–मकान जीत सिंह
    पू0–इसी प्लॉट का अंश
    प0– संजय प्रसाद का मकान

कृ0पृ0उ0

CamScanner

स्थानीय जाँच किया आवेदित भमि पर विपक्षी का चार रूम पक्का दिवाल तथा एस्वेस्टर्स है। एक चापानल बनाया गया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 17.01.2018 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–39/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 12:01:53 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner